संख्या-24/2025/130/26 3 2025-1397413

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 05 फरवरी, 2025

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1555-56/01/स0क0/लेखा-बजट/वि0स्वीकृति/2024-25, दिनांक 09-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2235-02-104-06-00 वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण के संचालन हेतु योजनान्तर्गत मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-74/2024/1258/001-1116- 26-3-2024-1397413 दिनांक 18 अप्रैल 2024 द्वारा धनराशि रू0 100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-123/2024/2508/26-3-2024-1397413, दिनांक 17.09.2024 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2235-02-104-06-00-वरिष्ठ नागरिक के भरण-पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 600.00 लाख के सापेक्ष **तृतीय किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2024-25 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण

अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294 /दस-2024-231/2024 दिनाँक 04-03-2024 एवं दिनांक 19-06-2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 080 **लेखा शीर्षक** 2235021040600 वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Signed by
Rajneesh Chandra
Date: 03-02-2025 15:49:36
(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9-गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव